

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या
12/08/2018

प्रवेश तिथि
22-01-2018

निर्णय दिनांक
15-01-2019

01-नाथूराम पुत्र खैराती जाति मीणा निवासी ग्राम मैजोड़, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज।
अपीलान्ट

बनाम

01-तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज।

रेस्पॉण्डेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक
04.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्या 213/2017

उपस्थित:-

01-श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल



-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 04.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम टोड़ी लुहारान की गै0मु0 राड़ा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 242/0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम टोड़ी लुहारान की गै0मु0 राड़ा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 242/0.25 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2017 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर दिना सुने दो माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 22.01.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपी0जैन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)